कार्यालय कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग क्रमांक 1037/भू.अ./अ.वि.अ./(?)

प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82/2017-18/भू.अ./ जबलपुर दिनांक 22/7 /2017

-//सार्वजनिक सूचना//-

चूंकि म.प्र.शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकम मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम वास्ते म.प्र. लोक निर्माण विभाग की सुरैया-सिमरिया-बढ़ैयाखेड़ा-पड़रिया -धमनी-सिंगौरी मार्ग परियोजना के लिये ग्राम बढ़ैयाखेड़ा में मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी/ भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमती से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि कें पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जायेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला : जबलपुर तहसील : पाटन ग्राम : बढ़ैयाखेड़ा

पटवारी हल्का नं.: 69 अर्जित क्षेत्रफलः 0.06 हे.

कं.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	रकबा	अर्जित रकवा	अन्य संम्पत्ति	अन्य संरचना
01	छब्बीबाई जोजे मुन्नालाल पता सा. पड़रिया भूमि स्वामी	167/1	0.75	0.03	—	—
02	मुन्ना लाल वल्द परमू पता सा. पड़रिया भूमि स्वामी	167/2	0.12	0.01	—	—
03	राजेन्द्र सिंह वल्द दशरथ सिंह पता सा. पड़रिया भूमि स्वामी	166	0.21	0.02	—	—

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पाटन, जिला - जबलपुर

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)